

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं 2.41 लाख वर्ग कि.मी. के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ यह भारत का पांचवां बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015 में 21.67 करोड़ हो गई (अनुमानित)। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2011–12 में अखिल भारतीय औसत 30 प्रतिशत के सापेक्ष लगभग 39.80 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 11,53,795 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.68 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2015–16 के अन्त में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 48,520 (अग्रिम) थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा आदि **परिचय 1.1** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष: 2011–12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.1** में दी गयी हैं।

सारणी 1.1: वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं*	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं*	13.65	14.73	10.51	10.58

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े दिनांक 29.07.2016 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

*वर्ष 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला जारी की गयी।

सारणी से प्रदर्शित है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2015–16 में कम होकर 10.58 प्रतिशत हो गई।

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए ₹ 9,389 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु ₹ 9,977 करोड़ एवं मिड डे मील योजना हेतु ₹ 1,696 करोड़; ऊर्जा क्षेत्र के परियोजनाओं हेतु ₹ 25,764 करोड़; परिवार कल्याण सुविधाओं हेतु ₹ 5,840 करोड़ तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 को “किसान वर्ष” घोषित किया गया एवं शिक्षित युवकों को कृषि एवं इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु “एग्री जंक्शन” नामक नई योजना का आरम्भ किया गया।

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2014–15 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना **परिशिष्ट 1.2** के भाग—अ और वित्त लेखे का प्रारूप भाग—ब में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। **परिशिष्ट 1.3** में वर्ष 2015–16 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति प्रदर्शित है।

सारणी 1.2: वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16		
भाग—अ: राजस्व					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,421.60	2,27,075.94	राजस्व व्यय	1,71,027.32	1,69,484.63	43,251.32	2,12,735.95
कर राजस्व	74,172.42	81,106.26	सामान्य सेवायें	64,305.73	72,205.73	22.19	72,227.92
करेतर राजस्व	19,934.80	23,134.65	सामाजिक सेवायें	60,905.78	46,437.20	36,049.26	82,486.46
संघीय करों / शुल्कों का अंश	66,622.91	90,973.69	आर्थिक सेवायें	34,885.24	40,701.42	7,179.87	47,881.29
भारत सरकार से अनुदान	32,691.47	31,861.34	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,930.57	10,140.28	0.00	10,140.28
भाग—ब: पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत व्यय	53,297.28	15,377.83	49,044.89	64,422.72
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262.48	725.63	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,872.64	9,117.91	-	9,117.91
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520.28	74,513.58	लोक ऋणों की अदायगी	9,411.21	17,672.76	-	17,672.76
आकस्मिकता निधि	0.55	201.28	आकस्मिकता निधि	203.15	44.07	-	44.07
लोक लेखा प्राप्तियाँ	2,30,199.19	2,65,971.96	लोक लेखा संवितरण	2,28,014.45	2,64,293.87	-	2,64,293.87
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	4,020.63	(-) 401.32	अन्तिम रोकड़ अवशेष	(-) 401.32	(-) 200.21	-	(-) 200.21
योग	4,63,424.73	5,68,087.07	योग	4,63,424.73	4,75,790.86	92,296.21	5,68,087.07

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **राजस्व प्राप्तियों** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 24,351 करोड़; 37 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 3,200 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं कर राजस्व (₹ 6,934 करोड़; नौ प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 2,27,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,49,880 करोड़ के बजट अनुमान¹ से कम (₹ 22,804 करोड़) थीं।
- **कर राजस्व** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 6,934 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर करों (₹ 4,758 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (₹ 613 करोड़; 16 प्रतिशत) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। स्वयं के कर राजस्व, ₹ 81,106 करोड़ बजट अनुमान के ₹ 91,915 करोड़ एवं चौदहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 91,806 करोड़) से कम था।
- **करेतर राजस्व** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 3,200 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह बजट अनुमान से ₹ 1,499 करोड़ अधिक था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकीय अनुमान के आकलन (₹ 23,036 करोड़) से अधिक था।
- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में वर्ष 2014–15 (₹ 32,691 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 (₹ 31,861 करोड़) में ₹ 830 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई।
- **केन्द्रीय करों और शुल्कों** में राज्य के अंश में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 24,351 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं यह बजट अनुमान (₹ 86,729 करोड़) से अधिक (₹ 4,245 करोड़) थी।
- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 41,709 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 2,12,736 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,15,756 करोड़) से कम (₹ 3,020 करोड़) था। राजस्व व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 31,720 करोड़ (33 प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 9,989 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- **पूंजीगत व्यय** (₹ 64,423 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 53,297 करोड़) के सापेक्ष ₹ 11,126 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्कें एवं सेतु, सहकारिता एवं वृहद सिंचाई में हुई। यह बजट अनुमान (₹ 63,154 करोड़) से अधिक (₹ 1,269 करोड़) था।
- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** (₹ 726 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 262 करोड़) के सापेक्ष ₹ 464 करोड़ (177 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह बजट अनुमान (₹ 263 करोड़) से भी अधिक (₹ 463 करोड़; 176 प्रतिशत) थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 9,118 करोड़) भी बजट अनुमान (₹ 2,793 करोड़) से ₹ 6,325 करोड़ (226 प्रतिशत) अधिक था।

¹मध्यकालिक राजकोषीय पुर्णसंरचना नीति, 2015 को प्रस्तुत करता है।

- लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 74,514 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 35,520 करोड़) के सापेक्ष ₹ 38,994 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 24,493 करोड़), बाजार कर्ज (₹ 12,500 करोड़) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 2,767 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- वर्ष 2015–16 के दौरान लोक लेखे की प्राप्तियों (₹ 2,65,972 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 2,30,199 करोड़) के सापेक्ष ₹ 35,773 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि वर्ष 2014–15 (₹ 9,992 करोड़) के सापेक्ष 2015–16 के दौरान मुख्यतः आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 15,599 करोड़) में ₹ 5,607 करोड़ (56 प्रतिशत) एवं वर्ष 2014–15 (₹ 9,988 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में लघु बचत एवं भविष्य निधियों आदि के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 10,303 करोड़) में ₹ 315 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- लोक लेखे संवितरण में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 36,280 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।
- वर्ष 2015–16 में आकस्मिकता निधि से ₹ 44 करोड़ के आहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।
- नकद अवशेषों में मार्च 2015 के ₹ 401 करोड़ के डेबिट अवशेष से, मार्च 2016 के ₹ 200 करोड़ (डेबिट), कुल ₹ 201 करोड़ (50 प्रतिशत) की कमी हुयी।
- 2015–16 के अन्त में राजस्व आधिक्य एवं प्राथमिक घाटे में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटे में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के अन्त में राजस्व आधिक्य (₹ 14,340 करोड़) में ₹ 8,054 करोड़ (36 प्रतिशत) की कमी हुई, राजकोषीय घाटे (₹ 58,475 करोड़) में ₹ 25,962 करोड़ (80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं प्राथमिक घाटे (₹ 37,027 करोड़) में ₹ 23,379 करोड़ (171 प्रतिशत) की कमी हुई। विस्तृत विवरण प्रस्तर 1.11.1 में दिया गया है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 पारित किया गया (फरवरी 2004), जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–15 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त

करना एवं धीरे-धीरे वर्ष 2015–16 तक राजकोषीय एवं ऋण के स्तरों में कमी लाना था।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन करके (मार्च 2016 में) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2016 विधायिका द्वारा पारित कराया एवं स्वयं के लिए वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया। सारणी 1.3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.3: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (जी.एस.डी.पी.के प्रतिशत में)
2015-16	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	31.00
2016-17	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	31.00
2017-18	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.50
2018-19	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.50
2019-20	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.00

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, मार्च 2016)

वर्ष 2015–16 में राज्य का निष्पादन, बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारकों के अधीन, तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे सारणी 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: वर्ष 2015–16 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य	चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना में प्रक्षेप/ एम.टी.एफ.पी.	वास्तविक ऑकड़े
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	34,124	34,124	14,340
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	2.96	2.96	5.07
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत	27.5	27.5	31.83

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2016)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 34,124 करोड़, के सापेक्ष राज्य सरकार के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। इसका प्रमुख कारण वर्ष 2014–15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं

(राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2015–16 द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य से 2.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के अन्त में, कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 प्रतिशत था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 प्रतिशत) से अधिक (4.33 प्रतिशत) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 प्रतिशत) के सापेक्ष अधिक (0.83 प्रतिशत) था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े


बजट अनुमान

प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 86,729 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 84,970 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 15,278 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 80,923 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 5,511 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति के अन्तर्गत राजस्व आधिक्य (₹ 34,124 करोड़), राजकोषीय घाटे (₹ 31,560 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹ 10,443 करोड़) का आकलन किया (परिशिष्ट 1.4)।

बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2015–16 में बजट अनुमान के चुने हुये राजकोषीय प्राचलों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिए गये हैं।



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

ऊपर दिए गए चार्ट द्वारा यह प्रदर्शित हो रहा है कि:

- बजट अनुमान ($\text{₹ } 2,49,880$ करोड़) की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों ($\text{₹ } 2,27,076$ करोड़) में $\text{₹ } 22,804$ करोड़ की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत, स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक संग्रह $\text{₹ } 10,809$ करोड़ कम रहा जबकि करेतर राजस्व बजट अनुमान की तुलना में $\text{₹ } 1,498$ करोड़ अधिक रहा। स्वयं के कर राजस्व के अन्तर्गत कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर ($\text{₹ } 4,981$ करोड़), साथ ही साथ राज्य आबकारी ($\text{₹ } 3,416$ करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क ($\text{₹ } 2,432$ करोड़) के कारण हुई। करेतर राजस्व ($\text{₹ } 1,498$ करोड़) में वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ($\text{₹ } 175$ करोड़) तथा अन्य करेतर राजस्व ($\text{₹ } 1,968$ करोड़) के कारण हुई।
- राजस्व व्यय ($\text{₹ } 2,12,736$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 2,15,756$ करोड़) से कम ($\text{₹ } 3,020$ करोड़) था। यह कमी मुख्यतः सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं में पायी गयी जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि पायी गयी। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में कमी $\text{₹ } 8,695$ करोड़, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में कमी $\text{₹ } 2,483$ करोड़ हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में $\text{₹ } 8,195$ करोड़ की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं में कमी मुख्यतः चुनाव (43 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कमी मुख्यतः श्रम रोजगार (50 प्रतिशत) में हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (132 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज (52 प्रतिशत) एवं परिवहन (आठ प्रतिशत) में हुई जो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कम व्यय (99 प्रतिशत) एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में कम व्यय (25 प्रतिशत) के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई। ब्याज के भुगतान पर हुआ व्यय ($\text{₹ } 21,448$ करोड़) वर्ष 2015–16 के दौरान बजट अनुमान ($\text{₹ } 21,117$ करोड़) से $\text{₹ } 331$ करोड़ अधिक था। पूंजीगत व्यय में बजट अनुमान के सापेक्ष $\text{₹ } 1,268$ करोड़ की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं ($\text{₹ } 5,092$ करोड़) में हुई।
- राजस्व आधिक्य ($\text{₹ } 14,340$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 34,124$ करोड़) के सापेक्ष कम ($\text{₹ } 19,784$ करोड़) था तथा राजकोषीय घाटे ($\text{₹ } 58,475$ करोड़) में बजट अनुमान ($\text{₹ } 31,560$ करोड़) के सापेक्ष वृद्धि ($\text{₹ } 26,915$ करोड़) हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राथमिक घाटा ($\text{₹ } 38,479$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 10,443$ करोड़) से $\text{₹ } 28,036$ करोड़ (268 प्रतिशत) अधिक था।

प्राप्तियों एवं व्ययों का स्वरूप, वर्ष 2015–16 में तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को प्रदर्शित करता है।

1.1.4 राज्य सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 13.5 प्रतिशत (वर्ष 2014–15 की तुलना में) वृद्धि की घोषणा की।

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि को सारणी 1.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5: स्वयं के कर राजस्व

विवरण	धनराशि
वर्ष 2014–15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	74,172
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	81,106
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	6,934
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़ों में वृद्धि (प्रतिशत में)	9.35

सारणी यह इंगित करती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्ष 2014–15 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष 9.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राज्य सरकार के संसाधनों के अन्तर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

सारणी 1.2 राज्य सरकार के वर्ष 2015–16 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। चार्ट 1.2 कुल प्राप्तियों का संघटन, चार्ट 1.3 वर्ष 2011–16 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2015–16 में संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन




चार्ट 1.3: राज्य की आकस्मिकता निधि से प्राप्ति को छोड़कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,04,195 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ: ₹ 2,27,076 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँ: ₹ 75,240 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ: ₹ 201 करोड़ और लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 1,678 करोड़ (निवल)² थीं। पुनः, कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 के ₹ 1,58,172 करोड़ के स्तर से ₹ 1,46,023 करोड़ (92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 3,04,195 करोड़ हो गईं।

चार्ट 1.4: वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 75 प्रतिशत, पूँजीगत प्राप्तियाँ 24 प्रतिशत एवं लोक लेखे प्राप्तियाँ एक प्रतिशत थीं।


²लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,65,972 करोड़. (-) लोक लेखे संवितरण: ₹ 2,64,294 करोड़

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

31 मार्च 2014 तक, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियों का अन्तरण किया था। महालेखा नियन्त्रक के पी.एफ.एस. (पब्लिक फार्मनेन्सियल मैनेजमेण्ट सिस्टम) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने कोई भी राशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसीज को अन्तरित नहीं किया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार को सीधे केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना/अन्य केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए सभी सहायता सीधे राज्य सरकारों को निर्गत किया जायेगा, न कि क्रियान्वयन एजेन्सी को।


1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन परिशिष्ट 1.5 में प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5 यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,076 करोड़) में, वर्ष 2014–15 के सापेक्ष, ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2011–16 के दौरान यह ₹ 1,30,869 करोड़ से स्थिर गति से बढ़कर ₹ 2,27,076 करोड़ हो गया।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 2,27,076 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 1,04,241 करोड़ स्वयं के स्रोतों, स्वयं के कर राजस्व (₹ 81,106 करोड़) एवं करेतर राजस्व (₹ 23,135 करोड़), से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 1,22,835 करोड़ भारत सरकार के संधीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 90,974 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 31,861 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 33,654 करोड़; 17 प्रतिशत) में वृद्धि का मुख्य कारण, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक करों का संग्रहण, देशी मदिरा, बीयर, राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत करों के अधिक संग्रहण तथा विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण था जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं उपक्रमों से कम व्याज प्राप्ति, पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्ति, भू-राजस्व एवं परती भूमि के बिक्री आगम से कम प्राप्ति तथा भूमिकर के उन्मोचन के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.6 में प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.70	11.49	15.29	14.99	17.40
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.07	17.73	17.82	18.54	19.68
उत्प्लावनता अनुपात³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	उपलब्ध नहीं	0.842	1.038	1.426	1.645
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	उपलब्ध नहीं	0.764	0.991	1.085	0.884
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.633	1.100	1.047	1.315	1.861
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

³ उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सारणी से प्रदर्शित है कि:

- वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादनता में 0.219 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2013–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समानता थी।
- राज्य के स्वयं के कर की उत्पादनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये 0.764 (2012–13) से बढ़कर 1.085 (2014–15) हो गयी, यद्यपि यह वर्ष 2015–16 के दौरान घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रह में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 62,758 करोड़ से बढ़कर (66 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 1,04,241 करोड़ हो गया।

सारणी 1.7 में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आकलन एवं राज्य सरकार के बजट अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.7: तेरहवें वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग और बजट अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के वास्तविक कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग का आकलन (2014–15)	चौदहवें वित्त आयोग का आकलन (2015–16)	बजट अनुमान	वास्तविक आँकड़े
स्वयं का कर राजस्व	59,619	91,806	91,915	81,106
करेतर राजस्व	12,115	23,036	21,636	23,135
योग	71,734	1,14,842	1,13,551	1,04,241

(प्रोत्तोः तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 59,619 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 21,487 करोड़ (36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 91,806 करोड़) के सापेक्ष ₹ 10,700 करोड़ (12 प्रतिशत) एवं बजट अनुमान (₹ 91,915 करोड़) की तुलना में भी ₹ 10,809 करोड़ (12 प्रतिशत) कम थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 12,115 करोड़) की तुलना में ₹ 11,020 करोड़ (91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 23,036 करोड़) के सापेक्ष ₹ 99 करोड़ एवं बजट अनुमान (₹ 21,636 करोड़) की तुलना में भी ₹ 1,499 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि आते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि के कर राजस्व के घटक सारणी 1.8 एवं चार्ट 1.7 में दिये गये हैं।


सारणी 1.8: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	33,107	34,870	39,645	42,934	47,692	11.08
राज्य आबकारी	8,139	9,782	11,644	13,483	14,084	4.46
वाहनों पर कर	2,376	2,993	3,441	3,797	4,410	16.14
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	7,694	8,742	9,521	11,803	12,404	5.09
भू-राजस्व	491	805	772	527	505	(-) 4.17
सामान एवं यात्रियों पर कर	5	1	1	1	1	00
अन्य कर	801	905	1,558	1,627	2,010	23.54
योग	52,613	58,098	66,582	74,172	81,106	9.35

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.7: वर्ष 2015-16 में स्वयं कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

सारणी यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान कर राजस्व में ₹ 6,934 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी में वृद्धि देशी मदिरा एवं बीयर पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई।

यद्यपि, भू-राजस्व के अन्तर्गत कर संग्रहण में कमी आई जो भू-राजस्व एवं बंजर भूमि के विक्रय से आय एवं भूमिकर के उन्मोचन से कम प्राप्ति के कारण हुई।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, व्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान करेतर राजस्व की प्राप्तियाँ सारणी 1.9 में दी गयी हैं।

सारणी 1.9: करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
व्याज प्राप्तियाँ	789	1,186	1,619	2,303	633	(-) 72.51
लाभांश एवं लाभ	38	63	5	8	43	437.50
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	9,318	11,721	14,826	17,624	22,459	27.43
योग	10,145	12,970	16,450	19,935	23,135	16.05

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी यह इंगित करती है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 16 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,200 करोड़) हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं तथा अन्य करेतर राजस्व के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 4,835 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, सहकारिता, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत हुई। यद्यपि, व्याज प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में कमी (73 प्रतिशत) प्रदर्शित हुई।

1.3.2 संग्रह की लागत

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रह से प्रतिशतता सारणी 1.10 में दी गई है।

सारणी 1.10: संग्रह की लागत

विवरण	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के साथ प्रतिशतता	विगत वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	47,692	541	1.13	0.91
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	12,404	247	1.99	3.59
राज्य आबकारी	14,084	148	1.05	2.09
वाहनों पर कर	4,411	136	3.08	6.08

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

सारणी से यह स्पष्ट है कि 2015–16 के दौरान राज्य आबकारी, वाहनों पर कर एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क पर कर संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। राज्य सरकार को कारणों का विश्लेषण करना चाहिये।

1.3.3 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि सारणी 1.11 में दी गई है।

सारणी 1.11 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273. 90
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	212.45	12.31	225.90	17.37	16.30
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20	21,637.97
कुल अनुदान	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34
विगत वर्ष से वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	15.07	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.57	11.88	13.32	16.90	14.03

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 830 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई जो वर्ष 2014–15 के ₹ 32,691 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 31,861 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजनाओं में कमी (₹ 4,643 करोड़) हुई। वर्ष 2014–15 के सापेक्ष मुख्य वृद्धि आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 1,465 करोड़) एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं (₹ 2,349 करोड़) में हुई।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.12 एवं चार्ट 1.8 में दी गई हैं।


सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	50,351	57,498	62,777	66,623	90,974
सेवा कर	6,010	8,396	10,227	9,822	15,682
निगम कर से भिन्न आय पर कर	10,067	12,365	13,902	16,614	19,815
संधीय उत्पाद शुल्क	5,649	6,493	7,234	6,084	12,206
निगम कर	19,819	20,654	21,113	23,265	28,603
सम्पत्ति पर कर	76	35	58	63	08
सीमा शुल्क	8,730	9,555	10,243	10,775	14,587
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	0	0	73

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.8: वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 24,351 करोड़ (37 प्रतिशत) की विशेष वृद्धि संज्ञान में आयी जो ₹ 66,623 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 90,974 करोड़ (2015–16) हो गई।

1.3.5 चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सभी कारकों पर विचार करने के बाद, तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 प्रतिशत की गयी जो विभाज्यपूल की 32 प्रतिशत थी। यह वृद्धि राज्यों को बिना शर्त स्थानान्तरण के प्रवाह में वृद्धि एवं राज्यों के विशिष्ट उद्देश्य में स्थानान्तरण को कार्यान्वित करने के लिए संघ को उचित राजकोषीय विस्तार प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य के लिए की गयी। सहायता अनुदान एवं केन्द्रीय कर स्थानान्तरण की स्थिति सारणी 1.13 में दी गयी है।

सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	केन्द्रीय कर हस्तांतरण	योग
2014-15	32,691	66,623	99,314
2015-16	31,861	90,974	1,22,835

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित है कि 2014-15 की अपेक्षा कुल स्थानान्तरण में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चौदहवें वित्त आयोग (विभाज्यपूल का 42 प्रतिशत) की संस्तुतियों के अनुसार थी।

1.3.6 राजस्व बकाया

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 27,626.04 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जिसका विवरण सारणी 1.14 में दिया गया है।

सारणी 1.14: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया धनराशि	31 मार्च 2016 को पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया धनराशि	टिप्पणी
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	27,188.58	11,804.32	बकाया राजस्व ₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों का ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण एवं शासन द्वारा ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अद्वे सरकारी विभागों से ₹ 587.59 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली को बटटे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 41.37 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे। शेष ₹ 15,457.15 करोड़ के संबंध में विशेष कार्यवाही विभाग में लम्बित थी।
2	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	243.76	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3	वाहनों पर कर	118.11	उपलब्ध नहीं	बकाया राजस्व ₹ 118.11 करोड़ में से माननीय न्यायालय एवं शासन द्वारा ₹ 13.98 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4	राज्य आबकारी	52.72	52.25	कुल ₹ 52.72 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। ₹ 52.72 करोड़ में से अन्य राज्यों को ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, ₹ 16.81 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 5.72 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी।
5	मनोरंजन कर	22.87	7.80	बकाया राजस्व ₹ 22.87 करोड़ में से, ₹ 10.36 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 12.51 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था।
योग		27,626.04	11,864.37	

(चोत: सम्बन्धित विभाग)

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि ₹ 11,864.37 करोड़ के राजस्व की वसूली पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है। वर्ष 2011–16 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.15 में दी गई हैं।

सारणी 1.15 पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियाँ	19,785	16,239	15,489	35,782	75,240
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133	419	589	262	726
लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,652	15,820	14,900	35,520	74,514
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)8	(-)19	(-)6	138	109.78
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)73	215	41	(-)56	177.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)10	(-)18	(-)5	131	110.27

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

यद्यपि, वर्ष 2011–14 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों में घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है तथापि, यह वर्ष 2013–14 के ₹ 15,489 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 75,240 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के ऋणात्मक आठ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ऋणात्मक छ: प्रतिशत हो गयी। यद्यपि यह, वर्ष 2013–14 के ₹ 14,900 करोड़ से बढ़कर (138 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 35,520 करोड़ से बढ़कर (110 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 74,514 करोड़ हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2014–15 के ₹ 262 करोड़ से बढ़कर (177 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 726 करोड़ हो गई।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियाँ की प्रतिशतता को सारणी 1.16 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.16: ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण/वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
संवितरण	976	1,003	1,473	1,873	9,118
वसूलियाँ	133	419	589	262	726
संवितरण के सापेक्ष वसूलियाँ की प्रतिशतता	14	42	40	14	08

(जोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित होता है कि ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, जो वर्ष 2012-13 में 42 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर आठ प्रतिशत हो गई, जो यह इंगित करता है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिमों की वसूली की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों की धनराशि सारणी 1.17 में दर्शायी गई है।

सारणी 1.17: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बाजार ऋण	15,830	9,500	8,000	17,500	30,000
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,277	1,421	1,494	7,176	31,669

(जोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2014-15 के ₹ 17,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 30,000 करोड़ हो गयी जो आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि की ओर संकेत करता है। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण में वर्ष 2014-15 के ₹ 7,176 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 31,669 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि (341 प्रतिशत) हुई।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

भारत सरकार ने 05 नवम्बर 2015 को उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का लक्ष्य राज्य की बिजली वितरण कम्पनियों, डिस्कॉम्स, की स्थिति में सुधार और परिचालन क्षमता एवं वित्तीय प्रभावकारिता को बढ़ाना है। सभी के लिए 24x7 संस्थानी एवं सुलभ विद्युत की उपलब्धता हेतु, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के रूप में, 'उदय' एक अग्रणी सुधार है। देश में डिस्कॉम्स लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ के कुल घाटे में हैं और उन पर लगभग ₹ 4.3 लाख करोड़ का बकाया ऋण (मार्च 2015 तक) है।

योजना के प्रावधान

उदय के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. राज्य द्वारा, 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत अगले दो वर्षों में वहन किया जाएगा। ऋण का 50 प्रतिशत वर्ष 2015–16 में एवं 25 प्रतिशत वर्ष 2016–17 में वहन किया जायेगा।
2. राज्य द्वारा गैर-एस.एल.आर. सहित स्टेट डेवलपमेंट लोन (एस.डी.एल.) बांड बाजार में निर्गत किए जाएंगे। इन निर्गत बांडों द्वारा अर्जित धनराशि को राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिया जाएगा जिससे वो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को चुका सकें।
3. राज्य के दस वर्षीय बांड की मूल्य का निर्धारण दस वर्षों के विस्तार के साथ दस वर्षीय जी-सेक में 0.5 प्रतिशत जोड़ने के उपरान्त किया जायेगा तथा गैर-एस.एल.आर. की स्थिति में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर अथवा बाजार द्वारा निर्धारित दर में 0.25 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।
4. बैंक/वित्तीय संस्थाएं पूर्वभुगतान प्रभार नहीं लगाएंगी और किसी प्रकार का बकाया अतिदेय ब्याज और दंडात्मक ब्याज को माफ नहीं करेंगी।
5. राज्य के द्वारा डिस्कॉम को दी जाने वाली राशि अनुदान के रूप में होगी। यदि राज्य अनुदान के पूर्ण ब्याज के भार का वहन तुरन्त करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से तीन वर्ष (दो वर्ष के लिए और ढील दी जा सकती है) के लिए बढ़ाया जा सकता है।
6. अपवाद स्वरूप, जहाँ डिस्कॉम को इकिवटी सहायता की आवश्यकता है, वहाँ इस अनुदान का 25 प्रतिशत से अधिक इकिवटी के रूप में नहीं दिया जा सकता है।
7. डिस्कॉम के ऋण का 50 प्रतिशत ऋण या बांड के रूप में माना जाएगा जिसकी ब्याज दर बैंक के आधार दर और 0.1 प्रतिशत (बैस रेट + 0.1 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी। राज्य द्वारा मूलधन तथा ब्याज के पूर्वभुगतान की गारन्टी दी जाएगी।
8. वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में सम्बन्धित राज्यों के राजकोषीय घाटे की गणना में उदय योजना के तहत राज्यों द्वारा अधिग्रहीत ऋण शामिल नहीं किया जाएगा। यद्यपि, ब्याज का भुगतान एफ.आर.बी.एम. की सीमा के अन्दर ही होगा।
9. बैंक/वित्तीय संस्थाएं डिस्कॉम को छोटी अवधि के ऋण, हानि की प्रतिपूर्ति हेतु नहीं देंगे।
10. कार्यकारी पूँजी हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाएं डिस्कॉम को उनकी पिछले वर्ष के वार्षिक राजस्व का 25 प्रतिशत तक उधार देंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उदय' के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर और डिस्कॉम के ऋण को वहन करने पर सहमत होकर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार डिस्कॉम के ऋण का ₹ 39,900 करोड़ वहन करेगी, जो इस योजना में परिकल्पित डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 तक के कुल ऋण, ₹ 53,200 करोड़, का 75 प्रतिशत है। योजना में ₹ 13,300 करोड़ के संतुलन ऋण का प्रावधान भी है। राज्य की गारन्टी वाले डिस्कॉम बांड के रूप में मौजूदा ब्याज दरों की तुलना में करीब तीन प्रतिशत कम कूपन दरों पर इसकी कीमत फिर से तय अथवा निर्धारित की जानी है। शेष ऋण के ब्याज दरों में और राज्य द्वारा

ऋण वहन किए जाने के कारण डिस्कॉम्स को ब्याज लागत में लगभग ₹ 1,600 करोड़ वार्षिक की बचत होगी।

वर्ष 2015–16 में डिस्कॉम ऋण के ₹ 39,900 करोड़ में से ₹ 26,600 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। यद्यपि, राज्य सरकार ने कुल ₹ 24,332 करोड़ ही वहन किया जिसमें से ₹ 12,166 करोड़ सहायता अनुदान (सरकारी प्रतिभूति के रूप में प्राप्त), ₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति ऋण के रूप में अन्तरण और ₹ 6,083 करोड़ उदय योजना के अन्तर्गत यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में दिया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, राजकोषीय स्थिति के संकेतकों पर जैसे राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे और लम्बित दायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसका विश्लेषण अगले प्रस्तर में किया गया है।

वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गयी। दूसरी ओर, राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई। जैसा राज्य के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे में दर्शाया गया है, राजस्व व्यय (₹ 12,166 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान के रूप में), पूँजीगत व्यय (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में) तथा ऋण एवं अग्रिम (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति उधार के रूप में) जो कि राजकोषीय घाटे के संघटक होते हैं। इसके कारण राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर में 80 प्रतिशत (वर्ष 2014–15 में ₹ 32,513 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 58,475 करोड़) की वृद्धि हुई। उदय योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयता में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014–15 के ₹ 3,07,859 करोड़ से ₹ 59,363 करोड़ बढ़कर (19 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 3,67,252 करोड़ हो गई।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण सारणी 1.18 में दिया गया है।

सारणी 1.18: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(₹ करोड़ में)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	316	296	390	486	594	
वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	(-13)	(-6)	32	25	22	

(प्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि वर्ष 2011–14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यद्यपि, इसमें वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

1.5 लोक लेखे (निवल)

कुछ लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं। ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होती है। इनके संबंध में शासन बैंकर का काम करता है एवं संवितरण

के बाद अवशेष निधि उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे (निवल) की स्थिति सारणी 1.19 में दी गई है।

सारणी 1.19: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक लेखे (निवल)	7,478	14,006	5,619	2,185	1,678
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,630	3,341	2,363	1,686	1,534
ख. आरक्षित निधि	5,487	4,386	7,954	(-) 2,694	2,561
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543
घ. उचन्त एवं विविध	607	3,540	(-) 9,637	535	(-) 677
ड. प्रेषण	(-) 208	986	(-) 98	1,608	(-) 197
वित्तीय आंकड़े लोक लेखे के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण के निवल आंकड़े हैं। वर्ष 2011-13 के आंकड़े विगत वर्षों से भिन्न हो सकते हैं।					

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि लोक लेखे (निवल) की प्रवृत्तियाँ दोलायमान हैं। यह वर्ष 2011-12 के ₹ 7,478 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 1,678 करोड़ हो गई। लोक लेखे में प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति परिशिष्ट 1.3 में दर्शायी गई है।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग


राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय समेकन पथ, व्यय की कीमत पर, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास हेतु किए जा रहे व्यय पर, नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं उनमें वृद्धि


कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है। अतः इसमें राज्य की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि (₹ 1,39,742 करोड़; 95 प्रतिशत) हुई जो वर्ष 2011-12 के ₹ 1,46,435 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 2,86,277 करोड़ हो गई।

वर्ष 2011-16 की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को चार्ट 1.9 तथा कार्यकलाप-वार कुल व्यय को चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



चार्ट 1.9 वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल व्यय, में इसके संघटकों सहित, बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।



(चोंत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.10 वर्ष 2011–16 की अवधि में कार्यकलापवार व्यय में मामूली परिवर्तन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय का अंश 33 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 27 प्रतिशत है। शेष सात प्रतिशत में से सहायता अनुदान (चार प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम (तीन प्रतिशत) के मध्य विभाजित हैं।

राजस्व व्यय में कुल वृद्धि (कभी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 41,709 करोड़ (24 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2014–15 के ₹ 1,71,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,12,736 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि मुख्यतः प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (983 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राकृतिक

विपत्ति/आपदा पर अधिक व्यय के कारण, जलापूर्ति तथा सफाई (316 प्रतिशत) के अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति योजना, सीवरेज सिस्टम पर स्थानीय निकायों को इस उद्देश्य के लिए दी गई सहायता के कारण, उद्योग (281 प्रतिशत) के अन्तर्गत चीनी मिलों को चीनी मूल्यों के भुगतान, उद्योगों की स्थापना, अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण के कारण एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण (156 प्रतिशत) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं शिक्षा पर व्यय के कारण हुई।

वर्ष 2015–16 में कमी का मुख्य कारण ग्राम्य रोजगार (100 प्रतिशत) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना आदि पर व्यय न होने के कारण एवं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (97 प्रतिशत) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को उनकी योजनाओं को सहायता न देने के कारण है।

इसी प्रकार, पूँजीगत व्यय में वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 11,126 करोड़ (21 प्रतिशत) की थी जो वर्ष 2014–15 के ₹ 53,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 64,423 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः सहकारिता (5150 प्रतिशत) के अन्तर्गत नॉन-लाइसेन्स सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से बैंकिंग स्कीम के अन्तर्गत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अंश पूँजी विनियोजन के कारण, अन्य प्रशासनिक सेवाओं (245 प्रतिशत) के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के निर्माण पर व्यय, इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में एलीवेटेड एप्रोच रोड एवं फ्लाई ओवर तथा राज्य में जेलों के निर्माण के कारण और शहरी विकास (53 प्रतिशत) के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन में शेयर पूँजी विनियोजन के कारण हुई।

कमी मुख्यतः अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों (49 प्रतिशत) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में समेकित कार्य योजना जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, बुन्देलखण्ड में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम एवं पूर्वांचल चालू कार्य इत्यादि पर कम व्यय तथा खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (42 प्रतिशत) के अन्तर्गत चीनी खाण्डसारी योजना एवं स्टेट बैंक व अन्य बैंकों के कर्ज, जो खाद्यान्न क्रय हेतु लिये गये थे, के कम ब्याज भुगतान के कारण हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2011–16 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.20 में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.20: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+)22,394	(+)14,340
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व व्यय की वृद्धि दर	15.05	13.59	12.38	8.14	24.39
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.11	17.10	16.75	16.39	18.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप रही। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप नहीं थी।

1.6.3 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान ($\text{₹ } 21,448$ करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय ($\text{₹ } 74,439$ करोड़), पेंशन ($\text{₹ } 24,150$ करोड़) तथा सभिसडी ($\text{₹ } 7,691$ करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय ($\text{₹ } 1,27,728$ करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ($\text{₹ } 1,69,485$ करोड़) का 75 प्रतिशत इसमें उपभोग किया गया।

वर्ष 2011-16 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.21 और चार्ट 1.11 में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.21: वचनबद्ध व्ययों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


वचनबद्ध व्ययों के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	47,521(36)	52,755 (36)	54,892 (33)	62,147 (32)	81,333	74,439 (33)
आयोजनेत्तर शीर्ष	42,244	46,007	47,654	51,195		58,537
आयोजनागत शीर्ष**	5,277	6,748	7,238	10,952		15,902
ब्याज भुगतान	15,481(12)	16,921(12)	17,412 (10)	18,865(10)	21,117	21,448 (9)
पेंशन पर व्यय	14,127(11)	17,921(12)	19,521 (12)	22,305(11)	28,805	24,150 (11)
सभिसडी	5,601(4)	5,964(4)	6,608 (4)	7,661(4)	8,240	7,691 (3)
वचनबद्ध व्यय का योग	82,730(63)	93,561(64)	98,433 (59)	1,10,978(57)	1,39,495	1,27,728(56)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अकित किये गये हैं।

*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)

वचनबद्ध व्ययों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि इसके सभी मदों में वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 82,730 करोड़ से 54 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,27,728 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत विभिन्न घटकों में वृद्धि/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वेतन एवं मजदूरी

सारणी 1.21 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 74,439 करोड़) पर हुए व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बजट अनुमान (₹ 81,333 करोड़) से ₹ 6,894 करोड़ कम था। पुनः आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत शीर्षों में वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2011–12 के ₹ 42,244 करोड़ से बढ़कर (39 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 58,537 करोड़ हो गया। आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2011–12 के ₹ 5,277 करोड़ से बढ़कर (201 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 15,902 करोड़ हो गया।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2011–16 की अवधि में पेंशन पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 14,127 करोड़ से बढ़कर (71 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 24,150 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 की तुलना में इसमें ₹ 1,845 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 24,150 करोड़ का व्यय बजट प्रावधान (₹ 28,805 करोड़) से कम (₹ 4,655 करोड़) था। पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान वर्ष 2011–12 के 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में नौ प्रतिशत हो गया। वास्तविक ब्याज भुगतान (₹ 21,448 करोड़) बजट अनुमान (₹ 21,117 करोड़) से अधिक (₹ 331 करोड़) थी।

सब्सिडी

वित्त लेखे (**परिशिष्ट II**) दर्शाते हैं कि सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 7,691 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी का भुगतान किया जो राजस्व प्राप्तियों का तीन प्रतिशत थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 5,708 करोड़ (74 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद, ₹ 1,084 करोड़ (14 प्रतिशत) आयोजनागत मद एवं ₹ 899 करोड़ (12 प्रतिशत) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं⁴ के अन्तर्गत संवितरित की गयी। सब्सिडी दिये गये प्रमुख कार्यकलापों में ऊर्जा कार्यकलाप: ₹ 5,200 करोड़ (68 प्रतिशत); कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप: ₹ 1,880 करोड़ (24 प्रतिशत); उद्योग: ₹ 289 करोड़ (चार प्रतिशत) तथा समाज कल्याण: ₹ 178 करोड़ (तीन प्रतिशत) थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

⁴राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **ऊर्जा क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 97 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2015–16 में सब्सिडी का अधिकतम भुगतान आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत उ0प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड को ₹ 4,200 करोड़ क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप एवं ₹ 1,000 करोड़ भुगतानित विद्युत कर के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप किया गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **कृषि क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 43 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0प्र0 विद्युत निगम को भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, सहकारी कृषि सम्बन्धी ऋण समितियों द्वारा किसानों को निम्न ब्याज दर पर ऋण (₹ 150 करोड़), सौर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की अवस्थापना (₹ 126 करोड़), एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन (₹ 105 करोड़) एवं राम गंगा तथा शारदा सहायक की क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं (₹ 105 करोड़) हेतु सब्सिडी का भुगतान किया गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **समाज कल्याण क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी में ₹ 110 करोड़ (38 प्रतिशत) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि का भुगतान (₹ 35 करोड़) कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सीमान्त कृषकों को (निःशुल्क बोरिंग) सहायता हेतु, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 28 करोड़ एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु ₹ 25 करोड़ का किया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान के कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के विस्तृत विवरण सारणी 1.22 में दिये गये हैं।

सारणी 1.22: वर्ष 2015–16 की कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजनाये/ सब्सिडी	विभाग का नाम	धनराशि
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	24.90
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	25.84
3	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	38.56
4	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	235.46
5	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	79.00
योग			403.76

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2015-16)

अतः, वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 403.76 करोड़ का भुगतान अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लिये किया गया।

1.7 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से सम्बन्धित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम होगी। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण सारणी 1.23 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.23: वर्ष 2012–13 और 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)							
राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई. [#] / ए.ई.	एस.एस.ई. /ए.ई.	ई.एस.ई. /ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन/ ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2012–13	20.12	70.03	38.47	29.70	13.70	17.72	4.72
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012–13	21.51	59.13	36.93	22.20	14.39	18.17	5.22
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015–16	16.05 [#]	70.63	36.29	34.34	14.89	15.63	4.45
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015–16	24.81	69.32	33.16	36.17	22.50	16.14	4.69

* जम्मू-कश्मीर एवं मणिपुर को छोड़कर
ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।
#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित हैं।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों (जी.सी.एस.) की तुलना में राज्य के कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में अधिक था।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में विकास व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामाजिक सेवाओं पर किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम था।
- आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम लेकिन वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक था।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा अधिक था।

- राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा अधिक था।

राज्य सरकार को विकास व्यय एवं सामाजिक सेवाओं पर किये गये व्यय, विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

1.7.1.1 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में सरकार द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.24** में दी गयी है।

सारणी 1.24: विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736
पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
ऋण एवं अग्रिम	976	1,003	1,473	1,873	9,118
कुल व्यय	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
विकास व्यय	86,897	97,904	1,17,209	1,46,705	1,98,456
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16	13	20	25	35
विकासेत्तर व्यय	59,538	67,657	75,274	79,492	87,821
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10	14	11	6	10

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित होता है कि विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत हो गयी एवं पुनः वर्ष 2015–16 में घटकर 10 प्रतिशत हो गयी। विकास व्यय की वृद्धि दर में विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2015–16 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 में विकास व्यय में ₹ 51,751 करोड़ की वृद्धि, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में निहित स्थितियों को पूरा करने हेतु आर्थिक सेवाओं को आवंटित ₹ 24,332 करोड़ के कारण थी, जो विकास कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

1.7.1.2 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

राज्य के कुल व्यय, राजस्व व्यय (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों सहित), पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय की वृद्धि दर, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर का विवरण **सारणी 1.25** में दिया गया है।

सारणी 1.25: आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल व्यय	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
राजस्व व्यय	1,23,885	1,40,724	1,58,147	171,027	2,12,736
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	1,01,269	1,14,846	1,26,490	1,37,765	1,69,485
आयोजनागत व्यय	22,616	25,878	31,657	33,262	43,251
पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
ऋण एवं अग्रिम	976	1,003	1,473	1,873	9,118
कुल व्यय की वृद्धि दर	14	13	16	18	27
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	17	13	10	9	23
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	7	14	22	5	30

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित होता है कि वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर 13 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर भी पांच प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर में निरन्तर कमी हुई जो 17 प्रतिशत (वर्ष 2011–12) से घटकर वर्ष 2014–15 में नौ प्रतिशत हो गई। वर्ष 2015–16 में यह बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई।

1.7.2 व्यय में दक्षता

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गये पूँजीगत व्यय एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय का विवरण सारणी 1.26 में दिया गया है। वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात में 5.44 प्रतिशत की कमी हुयी।

सारणी 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय की दक्षता

सामाजिक / आर्थिक अवसंरचना	2014-15		2015-16	
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
योग (सामाजिक सेवाएँ)	17.14	36,883	271	11.82
योग (आर्थिक सेवाएँ)	50.52	8,856	3,637	42.72
योग (सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ)	33.60	45,739	3,908	28.16
सामाजिक सेवाओं के मुख्य घटक				
सामाज्य शिक्षा	3.97	29,603	11	2.47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.87	5,794	106	16.77
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	75.33	96	131	45.66
आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक				
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	19.78	2,396	41	28.04
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	43.35	2,491	1,541	48.74
शक्ति एवं ऊर्जा	47.04	22	00	38.35
परिवहन	81.88	04	2,023	81.35
			99	2,389

(स्रोत: वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. ऑकड़े, वर्ष 2014–15, 2015–16)

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अंश में 5.32 प्रतिशत की तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 7.80 प्रतिशत की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अनुपात में कमी (29.67 प्रतिशत) जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास और सामान्य शिक्षा में हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत शक्ति एवं ऊर्जा क्षेत्र में 8.69 प्रतिशत की कमी आयी।

कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में 8.26 प्रतिशत तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में 5.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2014–15 (₹ 45,739 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 11,048 करोड़ की वृद्धि हुई। वेतन एवं मजदूरी के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में 30 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक सेवाओं (₹ 10,983 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 65 करोड़) के मध्य विभाजित थी, यद्यपि वर्ष 2014–15 की तुलना में कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में ₹ 86 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2014–15 (₹ 271 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015–16 में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में ₹ 76 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में ₹ 51 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 की तुलना में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में ₹ 318 करोड़ (21 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

1.8 शासकीय व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पासित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूँजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष सम्बिंदी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथोष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस अनुच्छेद में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्ययों के वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें/चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ (₹ 651 करोड़) उनके परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 4,891 करोड़ के व्यय का 13 प्रतिशत थीं, जो वर्ष 2015–16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान, 35 प्रतिशत, से बहुत कम थी, जो यह दर्शाता है कि परियोजनायें व्यवसायिक रूप से अव्यवहारिक थीं।

सारणी 1.27 में तेरहवें / चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय दिया गया है।

सारणी 1.27: तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	तेरहवें (2010–15)/चौदहवें (2015–20) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में अन्तर
	₹ करोड़ में	प्रतिशत में			
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39
2013-14	4,472	550	12	60	48
2014-15	5,009	397	8	75	67
2015-16	4,891	651	13	35	22

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग की अवधि में लागत वसूली का अन्तर निरन्तर 29 प्रतिशत (2011-12) से 67 प्रतिशत (2014-15) के मध्य बढ़ रहा था। चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष (2015-16) में यह अन्तर 22 प्रतिशत था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति सारणी 1.28 में दी गई है।

सारणी 1.28: 31 मार्च 2016 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2016)	(₹ करोड़ में)
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	891	11,524	उपलब्ध नहीं	4,321	
सिंचाई	33	3,219	16,634	10,086	
योग	924	14,743	16,634	14,407	

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

अपूर्ण 924 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 14,407 करोड़ (मार्च 2016) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 तक शासन ने सांविधिक निगमों (₹ 755 करोड़), शासकीय कम्पनियों (₹ 81,337 करोड़), सहकारी संस्थाओं (₹ 2,204 करोड़) और बैंकों (₹ 61 करोड़) सहित कुल ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया था। वर्ष 2011-16 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति सारणी 1.29 में दी गयी है।

सारणी 1.29: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश ⁵ / प्रतिफल / लिये गये उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	42,607.07	46,227.91	52,466.73	58,606.06	84,356.79
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	38.17	62.70	5.23	8.08	42.66
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.09	0.14	0.01	0.01	0.05
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.62	6.73	6.43	6.40	6.35
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अन्तर (प्रतिशत)	6.53	6.59	6.42	6.39	6.30

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से ज्ञात हुआ कि:

- सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्य रूप से ऐसे निगमों के अंश पूँजी में निवेश किया गया था, जो विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण आदि में लगे हुये थे।
- 31 मार्च 2015 तक सरकार ने ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था जिसपर वर्ष 2014–15 में प्रतिफल ₹ 8.08 करोड़ (0.01 प्रतिशत) था। तथापि, 31 मार्च 2016 तक सरकार ने ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया जिसके सापेक्ष प्रतिफल ₹ 42.66 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। इन निवेशों का प्रतिफल मात्र 0.05 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान लिये गये उधार पर 6.35 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया, जो सरकार द्वारा लिये गये उधार पर लागत के सापेक्ष बहुत कम था।

1.8.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

सार्वजनिक निजी साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ सरकार/सांविधिक इकाई/शासकीय स्वामित्व वाली इकाई है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की इकाई। इस व्यवस्था में सार्वजनिक सम्पत्ति तथा/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के लिये प्रावधान होता है तथा निवेश एवं प्रबन्धन निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रबन्धन एक निश्चित समयावधि के लिये होता है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं शासकीय इकाई के मध्य जोखिम की शर्त पूर्ण रूप से परिभाषित होती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को भुगतान, कार्य निष्पादन (या बैंचमार्क) के आधार पर किया जाता है जिसका मानक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंड के अनुरूप होता है। निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित कार्यों का आकलन शासकीय इकाई अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को 64 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, जिनमें ₹ 1,32,786.43 करोड़ की धनराशि निहित है एवं डेवलपर का चुनाव किया जा चुका है, का विवरण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत इसके वित्तीय उत्तरदायित्व को सुचित नहीं किया।

⁵ वर्ष 2015–16 तक के निवेशों के आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2015–16 के विवरण संख्या–19 के भाग–1 एवं भाग–2 के मुख्य एवं लघु शीर्षकार निवेश, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान विवरण के भाग–1 में (₹ 71,706.85 करोड़) एवं भाग–2 में (₹ 84,356.79 करोड़) दर्शायी गयी निवेश की राशि में अन्तर ₹ 12,649.93 करोड़ का मिलान किया जा रहा है।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थानों/संगठनों को कई ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। सारणी 1.30 लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों की 31 मार्च 2016 तक की स्थिति और विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति की स्थिति प्रदर्शित करती है।

सारणी 1.30: राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर औसत ब्याज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक अवशेष	11,572	12,456	14,067
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,473	1,873	9,118
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	589	262	726
अन्तिम अवशेष	12,456	14,067	22,459
अवशेष धनराशि जिसके लिये नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयीं			
निवल वृद्धि	(+) 884	(+) 1,611	(+) 8,392
ब्याज प्राप्तियाँ	19	14	26
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	0.15	0.10	0.12
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयतायें	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.18	6.13	5.84
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत में)	6.03	6.03	5.72

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

बकाया ऋणों में ₹ 8,392 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2014-15 के ₹ 14,067 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,459 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण का मुख्य अंश ऊर्जा (₹ 6,083 करोड़), उपभोक्ता उद्योग तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 721 करोड़) को दिए गए।

1.8.6 नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 113.87 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। वर्ष 2015-16 के दौरान नकद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेषों के निवेश को सारणी 1.31 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.31: नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक अवशेष	31 मार्च 2016 को अन्तिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ अवशेष		
कोषागारों में नकद	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 1,009.27	(-) 1,409.33
मार्गस्थ प्रेषण	00.00	00.00
योग	(-) 1,009.27	(-) 1,409.33
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	595.35	1,196.44
योग (अ)	(-) 413.92	(-) 212.89

(ब) अन्य रोकड़ अवशेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी		12.17	12.21
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम		0.43	0.47
उदिदष्ट निधियों के निवेश		45.20	45.20
योग (ब)		57.80	57.88
महायोग (अ)+ (ब)		(-) 356.12	(-) 155.01

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

वर्ष 2015–16 की समाप्ति, पर उदिदष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ (₹ 200.21 करोड़ – ₹ 45.20 करोड़ = ₹ 155.01 करोड़ डेबिट शेष) की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 200.21 करोड़ (डेबिट) नकद अवशेष थे। नकद अवशेष में मार्च 2015 (₹ 401.32 करोड़ डेबिट) की तुलना में मार्च 2016 के अन्त में ₹ 201.11 करोड़ की कमी हुई।



1.9 परिस्मृतियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिस्मृतियों एवं देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत, राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिस्मृतियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। यद्यपि, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिस्मृतियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.7 में 31 मार्च 2015 की स्थिति के सापेक्ष 31 मार्च 2016 को राज्य सरकार की ऐसी ही देयताओं एवं परिस्मृतियों का सार दिया गया है। यद्यपि, परिशिष्ट 1.7 में अंकित देयताओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी हैं जबकि परिस्मृतियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटन को चार्ट 1.12 एवं 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

चार्ट 1.12 एवं **1.13** इंगित करते हैं कि वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर सरकार की राजकोषीय देयताओं⁶ के घटकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ।

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताओं से उत्प्लावनता सारणी **1.32** में दी गयी है।

सारणी 1.32: राजकोषीय देयताएं—मूल प्राचल

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.21	6.74	8.51	9.28	19.29
राजकोषीय देयताओं का अनुपात:					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	35.59	31.55	29.84	29.51	31.83
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	185.86	177.94	167.47	159.16	161.73
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	387.56	365.31	339.28	327.14	352.31
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता:					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	उपलब्ध नहीं	0.494	0.578	0.883	1.823
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.464	0.587	0.557	0.619	1.109
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.410	0.509	0.506	0.696	1.791

(ज्ञोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2011–12 के ₹ 2,43,229 करोड़ से 51 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 3,67,252 करोड़ हो गई। वर्ष 2014–15 के 9.28 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में वृद्धि दर 19.29 प्रतिशत रही। यद्यपि, राजकोषीय देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 2011–15 की अवधि में कमी की प्रवृत्ति रही तथापि वर्ष 2015–16 के दौरान 2.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता में वर्ष 2012–13 के 0.494 से वर्ष 2015–16 में 1.823 तक वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन

राज्य सरकार के लेखे में अनेक आरक्षित निधियां निहित हैं, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिये बनायी गयी हैं एवं राज्य या बाहरी अभिकरणों के संचित निधि के अनुदानों के अंशदान द्वारा रखी जाती हैं। वर्ष 2013–16 के लिये ऐसी निधियों जैसे निधियों के नाम, प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के साथ–साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का वर्षवार विवरण परिशिष्ट **1.8** में दिया गया है एवं सारणी **1.33** में सारांशीकृत किया गया है।

⁶

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को
आन्तरिक ऋण	1,83,191	2,40,836
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14,462	13,658
लोक लेखे देयताएं	1,10,206	1,12,758
लंबित राजकोषीय देयताएं	3,07,859	3,67,252

सारणी 1.33: वर्ष 2013–16 की अवधि में आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र0 सं०	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2013 को प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ 2013–16	संवितरण 2013–16	31 मार्च 2016 को अन्तिम अवशेष
		परिचालित	अपरिचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ							
1	8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	01	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	126.69	00	126.69	शून्य
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ							
1	8222- स्किंग फण्ड	01	शून्य	34,83,444.33	19,83,102.80	11,63,282.60	43,03,264.53
2	8223- अकाल राहत निधियाँ	01	01	853.50	00	931.51	-78.01
3	8225- सड़के एवं सेतु निधियाँ	01	शून्य	5,744.65	7,40,000.00	7,77,891.14	-32,146.49
4	8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	शून्य	4,920.77	3,011.00	8,730.80	-799.03
5	8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	06	शून्य	53,905.26	6,00,634.93	5,86,933.01	67,607.18
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	04	02	41,618.80	5,29,844.56	5,30,357.38	41,105.98
योग		16	05	35,92,462.54	38,56,593.29	30,74,543.24	43,74,512.59
अथवा ₹ 43,745.13 करोड़							

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह स्पष्ट है वर्ष 2013–16 की अवधि में 21 (₹ 43,745.13 करोड़ के अन्तिम अवशेष के साथ) में से पाँच आरक्षित निधियाँ परिचालित नहीं हुयी। मार्च 2016 के अन्त में पाँच आरक्षित निधियों में ₹ 0.68 करोड़ का अन्तिम अवशेष (तीन निधियों में क्रेडिट शेष) एवं ₹ 45.20 करोड़ (दो निधियों में डेबिट शेष) था।

1.9.3.1 निष्केप निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निष्केप निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। यहाँ बकाया दायित्वों का अभिप्राय राज्य सरकार के लोक ऋण तथा लोक लेखे के दायित्वों से है। समेकित निष्केप निधि के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 5 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में इस निधि में ₹ 1,539.30 करोड़ की राशि (दिनांक 31.3.2015 को बकाया दायित्व ₹ 3,07,859.13 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान किया जाना चाहिए था।

परन्तु राज्य सरकार ने पूर्व में बनाये गये निक्षेप निधि को, इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप, समेकित निक्षेप निधि के रूप में संशोधित नहीं किया। सरकार ने राज्य स्तरीय निक्षेप निधि के सृजन के लिए अबतक कोई विज्ञाप्ति/विधान उपलब्ध नहीं कराया है।

वर्ष (2015–16) के दौरान वर्तमान निधि में ₹ 6,966.78 करोड़ का अंशदान किया। चूंकि यह अंशदान पुस्तक समायोजन के द्वारा किया गया था, अतः न ही कोई राशि निवेश हेतु उपलब्ध हो सकी थी और न ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित हुई। वर्ष के दौरान, निधि से ₹ 4,699.04 करोड़ का व्यय प्रदर्शित हुआ जो पुस्तक समायोजन के द्वारा ही समायोजित किया गया था। इस लेखे में अवशेष राशि का समायोजन राजस्व प्राप्ति के रूप में लेखा शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाएं को क्रेडिट करके, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है।

यह राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को उस राशि से अतिशयता प्रदान करता है जो राशि (जैसे इस वर्ष के लिए ₹ 4,699.04 करोड़) राजस्व लेखे (लेखा शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाएं) को इस प्रकार अन्तरित की गई।

1.9.3.2 दुर्घटना राहत निधि

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (यू.पी.एम.वी.टी.) अधिनियम, 1997 के भाग 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, जो वर्ष 2009 में संशोधित हुआ, यात्रियों या उनके उत्तराधिकारियों या अन्य व्यक्तियों, जो किसी ऐसी दुर्घटना में हताहत हुए हों, जिनमें लोक सेवा वाहन सम्मिलित हों, को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ.) के नाम से जानी जायेगी। धारा 4 के अन्तर्गत लगाये गये कर का दो प्रतिशत और धारा 6 के अन्तर्गत लगाये गये दो प्रतिशत अतिरिक्त कर के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित निधि में जमा किया जायेगा।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के राजस्व प्राप्तियों के मासिक विवरण की जांच के दौरान पाया गया कि अप्रैल 2012 और मार्च 2016 की अवधि में विभाग द्वारा कुल ₹ 5,453.04 करोड़ कर और सामानों एवं यात्री वाहनों से अतिरिक्त कर वसूल किया गया। इस धनराशि का दो प्रतिशत, जो ₹ 109.06 करोड़ था, यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ. में जमा किया जाना था परन्तु विभाग द्वारा निधि में जमा नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकार की कोई निधि स्थापित ही नहीं की गयी थी। पुनः संज्ञान में आया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान लोक सेवा वाहनों से हुए दुर्घटना के 334 प्रकरणों में यात्रियों या ऐसे यात्रियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे की धनराशि ₹ 49.02 लाख का भुगतान बजट के मुख्य लेखाशीर्ष “2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” से किया गया। निधि के सृजन की असफलता से अधिनियम के प्रावधान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और मुआवजे का भुगतान राज्य के राजस्व बजट के द्वारा किया गया।

समापन बैठक के दौरान सरकार/विभाग द्वारा हमारी टिप्पणी को स्वीकार किया गया और बताया गया कि यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ. के सृजन हेतु नियमों के संशोधन की प्रक्रिया प्रगति में थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियाँ, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार किसी नियम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति नहीं देगी।

यद्यपि, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा निर्धारित करती हो। बारहवें एवं बाद के वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं, जो प्रत्याभूतियों के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि भी स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु लिए गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों के मांग की परिस्थिति में किया जाना था, जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया।

वित्त लेखे के **विवरण-9** के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण सारणी 1.34 में दिया गया है।

सारणी 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	69,752	78,023	78,826
अवशेष प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित)	62,822	70,740	57,618
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	41.47 (1,68,214)	40.34 (1,93,422)	34.71 (2,27,076)

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे: कोष्ठक में राजस्व प्राप्तियों दर्शायी गई है)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि वर्ष 2013–14 के ₹ 69,752 करोड़ के स्तर से बढ़कर (13 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 78,826 करोड़ हो गई। यद्यपि, प्रत्याभूतियों की अवशेष धनराशियाँ (ब्याज सहित) भी ₹ 62,822 करोड़ (2013–14) के स्तर से बढ़कर ₹ 70,740 करोड़ (2014–15) हो गयी, तथापि यह वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 57,618 करोड़ हो गई। प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि ऊर्जा क्षेत्र के तीन संस्थानों (₹ 72,214.23 करोड़), अन्य क्षेत्रों के 11 संस्थानों (₹ 2,730.52 करोड़), सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों (₹ 2,670.42 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम के एक संस्थान (₹ 1,210.47 करोड़) हेतु दी गई। कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। वर्ष 2013–14 के 41.47 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्ष 2015–16 में 34.71 प्रतिशत हो गई। 31 मार्च 2016 तक ब्याज सहित अवशेष प्रत्याभूतियों की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 27.46 करोड़ - एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र (₹ 54,428.82 करोड़-तीन संस्थानों), सहकारी संस्थाओं (₹ 1,895.04 करोड़-दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,267.03 करोड़-11 संस्थानों) के सापेक्ष बकाया थी।

1.9.5 त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

शासकीय लेखे में राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के प्रकरण थे। विवरण सारणी 1.35 में दिया गया है।

सारणी 1.35: लेखों में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण/लेखांकन का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		राजस्व आधिक्य पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		विवरण
अतिशयता	न्यूनता	अतिशयता	न्यूनता	
-	-	93.71	-	शासकीय लेखांकन नियमों के अन्तर्गत, 'लघु निर्माण कार्यों' एवं सहायता अनुदान पर व्यय को राजस्व अनुभाग में लेखांकित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार ने लघु निर्माण कार्यों हेतु प्रावधान राजस्व शीर्ष में न करके पूँजीगत शीर्ष में किया गया एवं धनराशि ₹ 60.17 करोड़ को पुस्तांकित किया गया। अनुदानों पर व्यय राशि ₹ 33.54 करोड़ पूँजीगत प्रभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में प्रविष्ट होना चाहिए। जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	33.72	33.72	-	दिनांक 31 मार्च 2005 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के "पेशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 23,546.79 करोड़ (अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,345.60 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) जो सकल राजस्व व्यय (₹ 2,12,735.95 करोड़) का 11.07 प्रतिशत था, हुआ। 1 अप्रैल 2005 अथवा बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेशन योजना जो निर्धारित अंशदायी पेशन योजना है, के अन्तर्गत आच्छादित हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महङ्गाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है तथा समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्रत्याभूति जमा लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ नियामक बैंक के माध्यम से निर्धारित निधि प्रबन्धक को अन्तरित कर दी जाती है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹ 636.51 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 602.79 करोड़ का ही अंशदान किया गया तथा समस्त राशि ₹ 1,239.30 करोड़ को लेखा शीर्ष 8342–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेशन अंशदायी योजना के अन्तर्गत जमा किया गया। इसमें से ₹ 1,213.03 करोड़ की राशि को एन.एस.डी.एल./ नियामक बैंक में अन्तरित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2016 को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 580.11 करोड़ का अवशेष था। राज्य सरकार द्वारा ₹ 33.72 करोड़ (₹ 636.51 करोड़–₹ 602.79 करोड़) का कम अंशदान नई पेशनर लाभदायी योजना के अन्तर्गत किये जाने के कारण राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।
-	4,699.04	4,699.04	-	पुनर्भुगतानित धनराशि के समतुल्य राशि पुस्तक समायोजन के द्वारा लोक लेखे में सिंकिंग फण्ड के नामे तथा राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत 0075–विविध सामान्य सेवाएं सिंकिंग फण्ड से प्राप्ति को क्रेडिट (फॉन्ट्रा डेबिट), सिंकिंग फण्ड से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 4,699.04 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।
-	351.41	351.41	-	बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन करना था। परन्तु राज्य सरकार ने कोई भी प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा गारन्टी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मार्गनिर्वेशों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹ 351.41 करोड़ (वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिभूति ₹ 70,281.15 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का न्यूतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। अतः राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।

-	13.92	13.92	-	वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत ₹ 185.56 करोड़ का अवशेष था। एस.डी.आर.एफ. के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 4 के अनुसार, अनिवेशित अवशेष की राशि पर अर्थोपाय अग्रिम पर देय औसत ब्याज की दर से ब्याज की गणना की जानी थी। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 13.92 करोड़ ब्याज की राशि (वर्ष 2015–16 के लिए अर्थोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य में ₹ 13.92 करोड़ की अतिशयता हुई। निवेश न किये जाने एवं निधि को गैर ब्याज के रूप में रखे जाने के तथ्य राज्य सरकार के कार्पस् को प्रभावित करता है।
-	5,098.09	5,191.80	-	योग
	₹ 5,098.09 करोड़	₹ 5,191.80 करोड़		

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16)

व्यय एवं प्राप्ति शीर्षों के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं बजटीय प्रावधान के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभावस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 5,191.80 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 5,098.09 करोड़ की न्यूनता हुई।

1.10 ऋण प्रबन्धन

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया जाये जो राज्य की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवदेन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, ऋण अदायगी एवं ऋण प्राप्ति का अनुपात, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

पाँच वर्षों की अवधि, वर्ष 2011–16, के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक सारणी 1.36 से प्रदर्शित होता है।

सारणी 1.36: ऋण संवहनीयता—संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	3,051	(-)463	4,741	7,352	38,011
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	12	12	10	10	9
राजस्व प्राप्तियों	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
बकाया ऋण	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
बकाया ऋण की वृद्धि दर	8	7	9	9	19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
ब्याज भुगतान	15,481	16,921	17,412	18,865	21,448
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	10	10	10	10	9
ऋण भुगतान / ऋण प्राप्ति	49	60	60	63	48

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2011–13 के दौरान ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 12 प्रतिशत था जो 2013–15 के दौरान घटकर 10 प्रतिशत हो गया। यह 2015–16 के दौरान पुनः घटकर नौ प्रतिशत हो गया। यह राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता के स्तर को दर्शाता है। यद्यपि, वर्ष 2011–16 के दौरान ब्याज भुगतान लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 2,583 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ा परन्तु वर्ष 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि ने ब्याज भुगतान में वृद्धि को प्रतिसंतुलित किया।

ऋण संवहनीयता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में स्थिरता हो। ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि लोक ऋण का स्तर असंवहनीय है जबकि ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात का निम्न स्तर यह दर्शाता है कि लोक ऋण का स्तर संवहनीय है। बाकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2011–12 में 34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में 30 प्रतिशत हो गया जो लोक ऋण के संवहनीय स्तर को दर्शाता है, यद्यपि यह वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया। ऋण भुगतान का ऋण प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2014–15 (63 प्रतिशत) से पर्याप्त कम होकर वर्ष 2015–16 (48 प्रतिशत) हो गया। यद्यपि, बाजार ऋण वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2014–15 के ₹ 17,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 30,000 करोड़ हो गया। वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण भी वर्ष 2014–15 में ₹ 7,176 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 31,669 करोड़ हो गया।

1.10.1 लिये गये उधार की निवल उपलब्धता

वर्ष 2011–16 की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक 1.05 प्रतिशत एवं 33.43 प्रतिशत के मध्य रही।

सारणी 1.37 में उधार लिये गये निधियों की प्राप्ति, पुनर्भुगतान एवं निवल उपलब्धता को दर्शाया गया है।

सारणी 1.37: लिये गये उधार की निवल उपलब्धता

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(₹ करोड़ में)
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	49,849	44,039	55,057	71,455	1,13,502	
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	46,797	44,502	50,316	64,103	75,557	
उपलब्ध निवल निधियाँ	3,051	(-)463	4,741	7,352	37,945	
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्राप्तियों के प्रतिशत में)	6.12	(-)1.05	8.61	10.29	33.43	

(प्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्तियाँ, राज्य सरकार द्वारा किये गये भुगतानों, आन्तरिक ऋण (₹ 16,275 करोड़), भारत सरकार के ऋण (₹ 1,397 करोड़) तथा ब्याज (₹ 21,448 करोड़) सहित अन्य दायित्वों के भुगतान


(₹ 36,437 करोड) से अधिक थी, परिणामस्वरूप लिये गये उधार की निधियों की उपलब्धता वर्ष 2014–15 के 10.29 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 के अन्त तक 33.43 प्रतिशत हो गयी।

1.10.2 बाजार कर्ज की परिपक्वता प्रोफाइल

राज्य के बकाया ऋणों का 53.75 प्रतिशत सात वर्ष के कम की परिपक्वता अवधि एवं 45.75 प्रतिशत सात वर्ष अथवा अधिक की परिपक्वता अवधि से सम्बन्धित है। सारणी 1.38 एवं चार्ट 1.14 में राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल दी गयी है।

सारणी 1.38: राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

परिपक्वता प्रोफाइल	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं आग्रह	योग	(₹ करोड में) प्रतिशत
0 – 1 वर्ष	10,141.76	1,364.02	11,505.78	4.52
1 – 3 वर्ष	29,529.43	2,812.41	32,341.84	12.71
3 – 5 वर्ष	44,415.32	2,897.89	47,313.21	18.59
5 – 7 वर्ष	42,713.70	2,914.61	45,628.31	17.93
7 वर्ष और अधिक	1,12,763.64	3,669.28	1,16,432.92	45.75
राज्य सरकार से मिलान के अधीन	1,271.94	00	1,271.94	0.50
योग	2,40,835.79	13,658.21	2,54,494.00	100.00



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

चार्ट 1.14 से यह प्रदर्शित होता है कि एक वर्ष के पश्चात् एवं सात वर्षों और अधिक के ऋणों के पुनर्भुगतान एकत्र होकर पुनर्भुगतान के भार को विकट बनाता है।



1.11 राजकोषीय असन्तुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचलों—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असन्तुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखे में प्राप्तियों और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन का सूचक है।

पुनः, जिस तरह से घाटे का वित्त-पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सुजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है, वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त-पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 / वित्तीय वर्ष 2015–16 के नियमों के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.15 और 1.16 में वर्ष 2011–16 में घाटे की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा शून्य पर बनाये रखने तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2015–16 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2015–16 के अन्त तक राज्य के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। राजकोषीय घाटा वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये वर्ष 2011–12 के ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 58,475 करोड़ हो गया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ‘उदय’ को लागू किये जाने की स्थितियों को पूरा करने के कारण राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 37,027 करोड़ था। यह वर्ष 2014–15 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 25,962 करोड़ की वृद्धि के कारण था (चार्ट 1.15)।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसकी वित्तीय प्रवृत्ति

राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय, ऋणों एवं अग्रिमों सहित, की अधिकता के कारण राज्य सरकार के कुल उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक उधार लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तीय प्रवृत्ति को सारणी 1.39 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.39: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तीय प्रवृत्ति के घटक

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (₹ करोड़ में)
राजकोषीय घाटे का विघटन					
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक) एवं कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत है।	15,433 (2.13)	19,238 (2.34)	23,680 (2.51)	32,513 (3.12)	58,475 (5.07)
1 राजस्व घाटा(+)/आधिक्य(-)	(-) 6,984	(-) 5,180	(-) 10,067	(-) 22,394	(-) 14,340
2 निवल पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	843	584	884	1,610	8,392
राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति*					
1 बाजार कर्ज	12,834	6,263	5,054	13,513	25,301
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 999	(-) 1,099	(-) 1,075	(-) 875	(-) 803
3 एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	395	2,429	2,768	6,325	4,339
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 865	(-) 681	(-) 12	7,146	28,005
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,630	3,342	2,363	1,686	1,534
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543
7 उचन्त एवं विविध	608	3,540	(-) 9,637	535	(-) 677
8 प्रेषण	(-) 209	986	(-) 98	1,608	(-) 197
9 अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष एवं निवेश)	2,077	2,705	19,280	1,525	(-) 2,516
राजकोषीय घाटा	15,433	19,238	23,680	32,513	58,475

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए ₹ 15,433 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 58,475 करोड़ (2015-16) के मध्य रहा। राजकोषीय घाटा, विगत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2014–15 के ₹ 32,513 करोड़ से बढ़कर (80 प्रतिशत) वर्ष 2015-16 में ₹ 58,475 करोड़ हो गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में विघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग किया गया। अग्रेतर, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक उधार (राजकोषीय देयताएं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.40**) का विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.40: प्राथमिक घाटा/आधिक्य—घटकों का विभाजन

₹ करोड़ में							
वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+) 22,520	(-) 2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+) 28,068	(-) 6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+) 41,522	(-) 13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+) 35,514	(-) 37,027

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2011–16 की अवधि में, गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 के ₹ 1,31,002 करोड़ से बढ़कर (74 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 2,27,802 करोड़ हो गयी।
- सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (वर्ष 2012–13) से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 37,027 करोड़ हो गया क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की एक साथ पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

1.11.4 राज्य की वित्तीय स्थिति

विभिन्न प्राचल जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को निश्चित करने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान इन प्राचलों के साथ-साथ इनकी वृद्धि दर की स्थिति सारणी 1.41 में दी गयी है।

सारणी 1.41: राज्य की वित्तीय स्थिति

₹ करोड़ में

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.13	(-) 2.34	(-) 2.51	(-) 3.12	(-) 5.07
राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13 (1,23,885)	25 (1,40,724)	23 (1,58,147)	37 (1,71,027)	80 (2,12,736)
राजकोषीय देयताएँ	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राजकोषीय देयताएँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8	7	9	9	19
राजकोषीय देयताएँ/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	186	178	167	159	162

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे: कोष्ठक में राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं)

वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.07 प्रतिशत रहा जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत अधिक था। राजकोषीय घाटे के वृद्धि दर में वर्ष 2011-12 के केवल 13 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन को प्रदर्शित करती है। राजकोषीय घाटे का उच्चतर स्तर, राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अधिक आवंटन विशेषतः उदय योजना के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के कारण है। ₹ 58,475 करोड़ का राजकोषीय घाटा अधिक बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि के द्वारा वित्त पोषित था। वर्ष 2011-15 की अवधि में राजकोषीय देयताओं का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये 186 प्रतिशत (2011-12) से 159 प्रतिशत (2014-15) तक रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में थोड़ा सा बढ़कर 162 प्रतिशत हो गया, जो उच्चतर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ऋण संवहनीयता के स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है।

1.12 अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

निष्कर्ष

- राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व आधिक्य वर्ष 2014-15 के स्तर से वर्ष 2015-16 में ₹ 8,054 करोड़ कम हो गया जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2014-15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि

हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2015–16 द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य से 2.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के अन्त में कुल बकाया ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 प्रतिशत था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 प्रतिशत) से अधिक (4.33 प्रतिशत) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 प्रतिशत) के सापेक्ष अधिक (0.83 प्रतिशत) था।

- **बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े**

वर्ष 2015–16 में प्राप्तियों और व्यय का स्वरूप तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। ₹ 2,27,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ और ₹ 2,12,736 करोड़ का राजस्व व्यय, बजट अनुमान के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,49,880 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 2,45,756 करोड़) से कम था।

- **राजस्व प्राप्तियाँ**

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 24,351 करोड़; 37 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 3,200 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं कर राजस्व (₹ 6,934 करोड़; नौ प्रतिशत) का योगदान था। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत (वर्ष 2014–15 की तुलना में) स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में की गई 13.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **राजस्व व्यय**

वर्ष 2015–16 के दौरान, 2014–15 के सापेक्ष राजस्व व्यय (₹ 2,12,736 करोड़) में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयोजनागत व्यय तथा आयोजनेत्तर व्यय में क्रमशः 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि राज्य के सेवाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि को दर्शाता है।

- **पूँजीगत व्यय**

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष, वर्ष 2015–16 के दौरान पूँजीगत व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्केतों एवं सेतु, सहकारिता एवं वृहद सिंचाई में हुई।

- **लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2015–16 में, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी विशेषतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा ही अधिक था।

- अपूर्ण परियोजनायें

अपूर्ण 924 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 14,407 करोड़ (मार्च 2016), के व्यय से वाँछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

- राज्य की वित्तीय स्थिति

राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 80 प्रतिशत हो गयी, जो बढ़ते राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। यद्यपि, राजस्व प्राप्ति के अनुपात में राजकोषीय देयताओं के घटने की प्रवृत्ति राज्य में ऋण संवहनीयता की स्थिति में सुधार को दर्शाता है तथापि यह वर्ष 2015–16 में थोड़ा–सा बढ़ गया।

- राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं पर उदय योजना का प्रभाव

वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गई। दूसरी ओर राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई क्योंकि राजस्व व्यय (₹ 12,166 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान के रूप में), पूँजीगत व्यय (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में) तथा ऋण एवं अग्रिम (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति उधार के रूप में) राजकोषीय घाटे के संघटक होते हैं। उदय योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयता में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई।

संस्तुतियाँ

- बजट आंकलन की प्रक्रिया ज्यादा यथार्थवादी होनी चाहिए एवं व्यय पर नियन्त्रण की प्रणाली को मुख्य नियन्त्रण अधिकारी द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा धन को शासकीय लेखे से बाहर रखे जाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति को प्राथमिकता देना चाहिए एवं वार्षिक कार्य योजना बनाया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके।
- कार्यों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कार्यदायी संस्थाओं (निजी ठेकेदारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा कार्यान्वयन में कमी/गिरावट को कम से कम किया जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं पर हो और उनसे अनुबन्ध/समझौते के नियमों के अनुसार दण्ड की वसूली की जानी चाहिए।

